MAP Approval Letter

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0

यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स,
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
फोन : 2582851–53(पीबीएक्स)
फैक्स : 0512–2580797
Website: www.upsidc.com
E. Mail : feedback@upsidc.com

मेसर्स सेफरान बिल्डर्स प्रा0लि0
ए–84, हाउसिंग काम्प्लेक्स,
फेस–2, एक्सटेन्शन नोयडा,
जनपद– गौतमबुद्ध नगर।

पत्र सं0 2280-230 एसआईडीसी/एटीपी

दिनांक 24/6/2015

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2015 के अनुरोध पर औद्योगिक क्षेत्र साइट–5, सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर के भूखण्ड संख्या एस–9 में आप द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण(व्यावसायिक) के लिये प्रस्तुत मानचित्रों पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र दि0 28.08.2014 को निरस्त करते हुए निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह कि मानचित्र स्वीकृति तिथि से केवल पॉच वर्ष तक वैध है लेकिन उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा आपके पक्ष में आवंटन/पट्टा विलेख की समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. भवन मानचित्र से सम्बन्धित अन्य समस्त प्रपत्र अविलम्ब उपलब्ध कराते हुये भवन अनुज्ञा शुल्क तथा क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क एवं रू0 150/– प्रति वर्ग मीटर अवस्थापना उच्चीकरण शुल्क सहित अन्य देयों का भुगतान नियमानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, सूरजपुर में जमा करना होगा।
3. भूखण्ड के मद में अवशेष समस्त देयों का ब्याज सहित भुगतान क्षेत्रीय प्रबन्धक, सूरजपुर में जमा कराना होगा।
4. मेसर्स सेफरान बिल्डर्स प्रा0लि0 के पक्ष में किसी प्रकार के अंशधारिता इत्यादि परिवर्तन/ समयवृद्धि की अनुमति औ0से0 अनुभाग से 06 माह के अन्दर प्राप्त करना होगा।
5. उक्त अनुमोदन की सूचना सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रसारित की जाएगी एवम् आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रकिया आवंटी पर बाध्य होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सेट बैक एवं पार्किंग का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
7. निगम द्वारा व्यावसायिक भवनों के सम्बन्ध में यूपीसीडा में प्रचलित विनियमनों में इंगित समस्त शर्तो का अनुपालन आप द्वारा किया जायेगा।
8. भवन का सम्पूर्ण निर्माण कार्य हेतु IS CODE OF PRACTICE अन्तर्गत आने वाली सभी शर्तो का पालन आप द्वारा किया जायेगा।
9. स्ट्रक्चरल डिजाइन, भूकम्प रोधी मानकों को ध्यान में रखते हुये IS CODE OF PRACTICE अन्तर्गत आने वाली सभी शर्तों का पालन आप द्वारा किया जायेगा एवं उसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
10. भवन निर्माण से सम्बन्धित अनापत्तियों जैसे– विद्युत, जल, एयरपोर्ट, पर्यावरण, अग्निशमन, प्रदूषण आदि अन्य विभागों द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अभियन्ता कार्यालय में जमा करना होगा।
11. E.I.A. सम्बन्धित अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अभियन्ता कार्यालय, मुख्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
12. भू–तल पर दर्शाया गया अनाच्छादित पार्किंग के किसी भाग से(रैम्प, जीना इत्यादि) न्यूनतम 6 मीटर दूरी बनाकर प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ताकि अग्निशमन यान के परिकमा के लिये पथ अवरोधित न रहें। इस पट्टिका में LANDSCAPE FEATURES आदि नहीं होगा, इसके अतिरिक्त आप द्वारा व्यावसायिक भवन का निर्माण IS CODE OF PRACTICE अनुरूप किया जाना होगा।
13. अग्निशमन एवं प्रदूषण विभाग द्वारा लगाई गयी शर्तों का अनुपालन आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. आप द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र लेने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. सोलर वाटर हीटिंग नियमानुसार आप द्वारा लगाना आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

16. परिसर में उपयुक्त/ नियमानुसार उचित क्षमता के–
अ– सम्पूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट
ब– निर्बाध विद्युत उपलब्धता हेतु कैप्टिव पावर प्लान्ट
स– जलापूर्ति हेतु बोरवेल एवं ओवरहेड टैंक एवं जल शुद्धिकरण यन्त्र स्थापित किया जाना होगा।
द– सभी अवस्थापना सम्बन्धित विकास भूखण्ड/ परिसर में सेट बैक अथवा अग्निशमन यातायात पथ में बाधक नहीं होने चाहिए।

17. मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय(जैसे नगर पालिका, ग्रेटर नोयडा) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफक्टेड) नहीं हो।

18. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

19. जो क्षेत्र विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होगें वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय के विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

20. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जोयेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।

21. सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मेटेरियल) नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी के निकासी का पूर्ण प्रबन्ध आप द्वारा स्वयं करना होगा।

22. स्वीकृति मानचित्रों का सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों, विशिष्टियों तथा नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

23. भवन मानचित्र में नियमानुसार दर्शाये गयी पार्किंग ईसीएस का प्रावधान करना आवश्यक होगा।

24. यदि मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो यह शर्त भी आपकों मान्य होगी।

25. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाया जायेगा। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करना होगा।

26. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अनुसार भूखण्ड पर आप द्वारा 50 पेड प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना अनिवार्य होगा।

27. भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देखरेख में आप द्वारा कराया जायेगा।

28. बिजली की लाइन के 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

29. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना एवं भूकम्परोधी संरचना की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

30. भविष्य में यदि विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत भवन मानचित्र का एक सेट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, भवन निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए भवन उपयोग में नही लाया जाऐगा।

भवदीय,

(अरूण मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner

पृष्ठांकन सं0 /एडीपी दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीएसआईडीसी लि0, सूरजपुर को उपरोक्त संदर्भ में स्वीकृत भवन मानचित्र के एक सैट सहित इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित भूखण्ड की हस्तान्तरित की गयी भूमि के क्षेत्रफल तथा मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्रफल एक समान हो, सुनिश्चित करें एवं उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न होने पर मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता(निर्माण खण्ड–2), यूपीएसआईडीसी लि0, सूरजपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भवन निर्माण कार्य समाप्त होने पर सम्पूर्णता प्रमाणपत्र हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

(अरूण मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner